न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 213/2023 राजस्व वाद

01. पेमा पुत्र श्री बरदा गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नारायण पुत्र श्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. खुमी पुत्री श्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्रेमी पुत्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. पारसी पुत्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. ज्वारा पुत्र श्री रामा तेली आयु वयस्क निवासी— अमरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मोहन पुत्र श्री भूरा गाडरी आयु वयस्क निवासी— अमरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय— —प्रतिवादी संख्या 01 से 02
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 03

दिनांक—08.09.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर. टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 0.5059 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6139 रकबा 0.3541 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6153 रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि जो कि अन्य आराजियात के साथ राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 141/2015 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 07 सात अप्रेल 2015 दो हजार पन्द्रह को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन को होने पर माह जनवरी 2016 मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा कब्जा कर लिया गया जिससे दिनांक 15 पन्द्रह मार्च 2016 दो हजार सौलह को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादी की आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित वादीगण की आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक एवं 02 दो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीगण ने दिनांक 25 पच्चीस जून 2023 दो हजार तैबीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो ने वादीगण को धमकी दी कि वादीगण की मर्जी आवे जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया, लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 ने सरहद अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिकी जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 213/2023 राजस्व वाद

01. पेमा पुत्र श्री बरदा गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. नारायण पुत्र श्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. खुमी पुत्री श्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. प्रेमी पुत्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. पारसी पुत्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. ज्वारा पुत्र श्री रामा तेली आयु वयस्क निवासी— अमरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. मोहन पुत्र श्री भूरा गाडरी आयु वयस्क निवासी— अमरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय— —प्रतिवादी संख्या 01 से 02
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 03

दिनांक—08.09.2025

= निर्णय =

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्व धारा 183 आर. टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 0.5059 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6139 रकबा 0.3541 हैक्टयर, आराजी नम्बर 6153 रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि जो कि अन्य आराजियात के साथ राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 141/2015 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 07 सात अप्रेल 2015 दो हजार पन्द्रह को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन को होने पर माह जनवरी 2016 मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा कब्जा कर लिया गया जिससे दिनांक 15 पन्द्रह मार्च 2016 दो हजार सौलह को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादी की आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित वादीगण की आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक एवं 02 दो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीगण ने दिनांक 25 पच्चीस जून 2023 दो हजार तैबीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

छोड़कर, उक्त ... वादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो ने वादीगण को धमकी दी कि वादीगण की मर्जी आये जो कर लेना , प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयावी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद अमरपुरा पटवार हल्का करेडा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया , लेकिन वावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमावंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की वहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 ने सरहद अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 0 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को सिपु कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करा जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर /2023 राजस्व वाद

01. पेमा पुत्र श्री बरदा गाडरी आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नारायण पुत्र श्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. खुमी पुत्री श्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्रेमी पुत्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. पारसी पुत्री केशु गाडरी आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— वादीगण

बनाम

01. ज्वारा पुत्र श्री रामा तेली आयु वयस्क निवासी– अमरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मोहन पुत्र श्री भूरा गाडरी आयु वयस्क निवासी– अमरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादीगण की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 ने सरहद अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 8883/6156 रकबा 02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व आराजी नम्बर 6139 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 दो द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराया जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)